भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3134

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा

3134. श्री बैजयंत पांडा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात का कुल मूल्य कितना है और किन क्षेत्रों में निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) एमएसएमई को उनकी निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) एमएसएमई निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) पोर्टल से लिए गए एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (सितंबर तक) के दौरान एमएसएमई उत्पादों से संबंधित निर्यातों का कुल मूल्य 952023.35 करोड़ रुपए है। उक्त अवधि के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन मुख्यत: उच्च मूल्य और प्रोद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मास्युटिकल्स, और इंजीनियरिंग गुड्स में तीव्र गति को दर्शाता है।

(ख) और (ग) : एमएसएमई क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यात सहित निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने समग्र निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदन प्रदान किया है। ईपीएम के तहत, निर्यात प्रोत्साहन, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है, और निर्यात दिशा, जो निर्यात-गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाज़ार-पहुँच इंटरवेन्शन, लोजीस्टिक की सुविधा प्रदान करने, और निर्यात इकोसिस्टम निर्माण के उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता की और केंद्रित है, के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा शुरू किया गया व्यापक जीएसटी युक्तिकरण ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, लोजीस्टिक, हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए एमएसएमई को प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ बनाता है। जीएसटी की कम दरों ने कच्चे माल और सेवाओं को और अधिक किफायती बना दिया है, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट अप्स को अपने प्रचालन को बढ़ाने, नवाचार में निवेश करने, और घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धी बनने हेतु प्रोत्साहित किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, अन्यों के साथ-साथ, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित पहलों को शुरू किया है:-

i. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल लोजीस्टिक के लिए एक व्यापक और एकीकृत योजना तैयार करने में समर्थ बनाया है।
ii. राष्ट्रीय लोजीस्टिक नीति (एनएलपी), जिसका उद्देश्य लागत-प्रभावी लोजीस्टिक नेटवर्क के माध्यम से देश के आर्थिक विकास और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।
iii. एमएसएमई सहित, पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई)।
iv. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी की सुविधा के साथ-साथ निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करते हुए एमएसएमई के निर्यात बाज़ार में प्रवेश के लिए उनका क्षमता निर्माण करना है।
v. सूक्ष्म और लघु उद्यम: क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/मौजूदा औद्यौगिक एस्टेटों/क्षेत्रों/फ्लेटेड फैक्टरी परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनके समग्र विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है।
vi. एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों को अपनाने और निरस्तीकरण दरों, उत्पाद और कच्चे माल के आवागमन और उत्पाद लागत में कमी को प्राप्त करने के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

(घ) : भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग, विशेषकर एमएसएमई की बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने वाली सर्वोच्च कार्यपद्धतियों के विनिमय के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए), मॉरीशस गणराज्य, ताजिकिस्तान, मिस्र, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****